

राजस्थान सरकार


सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक : प.03(10)साप्र / 5 / 98

जयपुर, दिनांक 03-06-2014

आदेश

कार्य संचालन नियमावली के नियम 21 व 22 के अनुसरण में इस विषय पर पूर्व प्रसारित समस्त आदेशों का अतिलंघन करते हुए एतद्वारा आदेश दिए जाते हैं कि मंत्रिमण्डल सचिवालय, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग, सम्पदा विभाग, नागरिक उड्डयन विभाग के कार्य संचालन के मामले इस विभाग के अधिकारियों द्वारा इस आदेश की तिथि से सलग्न अनुसूची में दिखाये गये निर्धारण के अनुसार निपटाये जायेंगे।



(वसुन्धरा राजे)

मुख्यमंत्री, राजस्थान

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, सा.प्र.वि.।
5. संयुक्त शासन सचिव, सा.प्र.(ग्रुप-4 व 5)वि.।
6. डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल, सा.प्र.(ग्रुप-1) वि.।
7. वरिष्ठ शासन उप सचिव, सा.प्र.(ग्रुप-2 व 3)वि.।
8. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
9. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मोटर गैराज एवं ना.उ.वि.।
10. शासन उप सचिव, मोटर गैराज एवं सम्पदा वि.।
11. उप शासन सचिव, प्रशा.सुधार (कोडिफिकेशन) वि.।
12. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सा.प्र.वि.।
13. समस्त सहा.सचिव/अनु.अधि.,सा.प्र.वि.।
14. पंजीयक, शासन सचिवालय।
15. रक्षित पत्रावली।



(राकेश श्रीवास्तव)

अति.मुख्य सचिव

**मंत्रिमण्डल सचिवालय, सामान्य प्रशासन, राजस्थान स्टेट मोटर गैरेज, सम्पदा एवं नागरिक
उड्डयन विभाग से संबंधित कार्यों के निपटारे की रीति**

स्थाई आदेश

मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्र. स.	विषय	जिसके द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया जावेगा	जिसके द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया जावेगा	मुख्यमंत्री को समर्पित किया जावेगा
1	संविधान संबंधी मामले	गुप अधिकारी/ शासन उप सचिव/ वरि.शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
2	अन्य राज्यों तथा संघ के साथ संबंध	गुप अधिकारी/ शासन उप सचिव/ वरि.शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
3	क्षेत्रीय परिषद् के संबंधित मामले	गुप अधिकारी/ शासन उप सचिव/ वरि.शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
4	राज्यपाल सचिवालय	गुप अधिकारी/ शासन उप सचिव/ वरि.शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री (केवल महत्वपूर्ण मामले)
5	मंत्रीगणों के पानी व बिजली के भुगतान संबंधी निर्णय	गुप अधिकारी	शासन उप सचिव	-
6	मंत्रियों को कार अग्रिम एवं यात्रा भत्ता अग्रिम के बकाया मामले	गुप अधिकारी/ शासन उप सचिव/ वरि.शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव	-
7	मंत्री/राज्यमंत्री/उपमंत्री/से संबंधित अन्य मामले	गुप अधिकारी/ शासन उप सचिव/ वरि.शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री (केवल महत्वपूर्ण मामले)
8	सचिवालय के विभिन्न विभागों में भारत सरकार से प्राप्त महत्वपूर्ण निर्देश पत्रों का त्रैमासिक विवरण	गुप अधिकारी/ शासन उप सचिव/ वरि.शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
9	विभिन्न सम्मेलनों की महत्वपूर्ण सिफारिशों के त्रैमासिक ब्यौरे जिनमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि गये हो	गुप अधिकारी/ शासन उप सचिव/ वरि.शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
10	मंत्रिमण्डल निर्णयों का क्रियान्वयन	गुप अधिकारी/ शासन उप सचिव/ वरि.शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री (केवल महत्वपूर्ण मामले)
11	योग्यता पुरस्कार, नकद पुरस्कार एवं योग्यता प्रमाण पत्र आदि की स्वीकृति	गुप अधिकारी/ शासन उप सचिव/ वरि.शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
12	वरिष्ठ अधिकारीगण सम्मलेन से संबंधित मामले	गुप अधिकारी/ शासन उप सचिव/ वरि.शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री (आवश्यकतानुसार)
13	मंत्रिमण्डल बैठकों अथवा मंत्रिमण्डलीय समितियों की बैठकों में रखे जाने वाले एजेण्डे का निर्णय			
अ	मंत्रिमण्डल की बैठकों में रखे जाने वाले एजेण्डे का निर्णय	गुप अधिकारी/ शासन उप सचिव/ वरि.शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
ब	मंत्रिमण्डल समितियों की बैठकों में रखे जाने वाले एजेण्डे का निर्णय	गुप अधिकारी/ शासन उप सचिव/ वरि.शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	संबंधित मंत्री

14	मंत्रिमण्डल/मंत्रिपरिषद् की बैठकों से संबंधित मामले			
अ	मंत्रिमण्डल/मंत्रिपरिषद् की बैठकों का तिथि निर्धारण	ग्रुप अधिकारी/ शासन उप सचिव/ वरि.शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
ब	मंत्रिमण्डल/मंत्रिपरिषद् की बैठकों का आयोजन व कार्यवाही विवरण जारी करना	ग्रुप अधिकारी/ शासन उप सचिव/ वरि.शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव (मुख्य सचिव से अनुमोदन पश्चात्)	मुख्यमंत्री
15	स्थायी मंत्रिमण्डलीय समितियों की बैठकों से संबंधित मामले			
अ	स्थायी मंत्रिमण्डलीय समितियों की बैठकों का तिथि निर्धारण	ग्रुप अधिकारी/ शासन उप सचिव/ वरि.शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	संबंधित मंत्री
ब	स्थायी मंत्रिमण्डलीय समिति की बैठकों का आयोजन व कार्यवाही विवरण जारी करना	ग्रुप अधिकारी/ शासन उप सचिव/ वरि.शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव (मुख्य सचिव से अनुमोदन पश्चात्)	संबंधित मंत्री
16	राज्यपाल का अभिभाषण	ग्रुप अधिकारी/ शासन उप सचिव/ वरि.शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
17	राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों के लिए स्वविवेक अनुदान नियम	ग्रुप अधिकारी/ शासन उप सचिव/ वरि.शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
18	विधानसभा प्रश्न	ग्रुप अधिकारी/ शासन उप सचिव/ वरि.शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
19	लोकसभा	ग्रुप अधिकारी/ शासन उप सचिव/ वरि.शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	-
20	कार्याविधि नियमों से संबंधित मामले	ग्रुप अधिकारी/ शासन उप सचिव/ वरि.शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
21	पाक्षिक प्रतिवेदन	ग्रुप अधिकारी/ शासन उप सचिव/ वरि.शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	-
22	राज्य के राजपत्रित अधिकारियों के परीक्षा विषय पास करने पर राजस्थान नागरिक सेवाएँ (पुरस्कार, योग्यता पुरस्कार एवं योग्यता प्रमाण पत्र), नियम, 1973 के तहत नकद पुरस्कार की स्वीकृति	ग्रुप अधिकारी/ शासन उप सचिव/ वरि.शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
23	अराजपत्रित राज्य कर्मचारियों के परीक्षा विषय पास करने पर राजस्थान नागरिक सेवाएँ (पुरस्कार, योग्यता पुरस्कार एवं योग्यता प्रमाण पत्र), नियम, 1973 के तहत नकद पुरस्कार की स्वीकृति	ग्रुप अधिकारी/ शासन उप सचिव/ वरि.शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	-
24	जनगणना से संबंधित कार्य	ग्रुप अधिकारी/ शासन उप सचिव/ वरि.शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री (जहाँ आवश्यकता हो)
25	विभागों का वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुति के लिए निर्देश	ग्रुप अधिकारी/ शासन उप सचिव/ वरि.शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	-
26	विभागीय सूचना का अधिकार संबंधी मामले	ग्रुप अधिकारी	शासन उप सचिव एवं लोक सूचना अधिकारी	-

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-1) विभाग

क्र. स.	विषय	जिसके द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया जावेगा	जिसके द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया जावेगा	मुख्यमंत्री को समर्पित किया जावेगा
1.	माननीय राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/प्रधानमंत्री तथा विदेशी राष्ट्रध्यक्ष/राज्याध्यक्ष	प्रोटोकॉल आफिसर/डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव/मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
2.	राजस्थान राज्य अतिथि नियम 1991 की तालिका के अतिरिक्त विशिष्ट व्यक्तियों/विदेशी अतिथियों को राजकीय अतिथि मानने की स्वीकृति	प्रोटोकॉल आफिसर/डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव/मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
3.	राजस्थान राज्य अतिथि नियम 1991 की तालिका के अनुसार राजकीय अतिथि मानने की स्वीकृति	प्रोटोकॉल आफिसर	डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल	-
4.	माननीय राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपति/प्रधानमंत्री तथा विदेशी राष्ट्रध्यक्ष/राज्याध्यक्ष का स्वागत एवं विदाई	प्रोटोकॉल आफिसर/डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
5.	अन्य राजकीय अतिथियों का स्वागत एवं विदाई	प्रोटोकॉल आफिसर	डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल	-
6.	सम्मेलन में आमंत्रित विशिष्ट अतिथियों के आवास हेतु विश्राम भवनों राजस्थान हाउस/बीकानेर हाउस में आरक्षण	प्रोटोकॉल आफिसर	डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल	-
7.	संसदीय/विधान परिषदों की समितियों के सदस्यों हेतु विश्राम भवनों, राजस्थान हाउस तथा बीकानेर हाउस में आरक्षण	प्रोटोकॉल आफिसर	डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल	-
8.	रेल, बस तथा हवाई यात्रा हेतु सरकारी कोटे की सीटों/बर्थों का आरक्षण	प्रोटोकॉल आफिसर	डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल	-
9.	वारन्ट ऑफ प्रेसिडेंटस	प्रोटोकॉल आफिसर/डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
10.	प्रतिष्ठित एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के निधन के समय की जाने वाली कार्यवाही एवं शोक संदेश	प्रोटोकॉल आफिसर/डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव	-
11.	मुख्यमंत्री/मंत्रिगण की भूमिका के संबंध में जारी निर्देशों के मामले	प्रोटोकॉल आफिसर/डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
12.	मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव द्वारा दिए जाने वाले भोज की स्वीकृति	प्रोटोकॉल आफिसर/डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव	-
13.	राजकीय अतिथियों से संबंधित अन्य मामले जो उपर्युक्त अनुसूची में उल्लेखित नहीं हैं	प्रोटोकॉल आफिसर/डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
14.	अनुभाग से संबंधित सूचना के अधिकार अधिनियम प्रकरण	अनुभागाधिकारी (आर.टी.आई.) /प्रोटोकॉल ऑफिसर	डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी	-

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्र. स.	विषय	जिसके द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया जावेगा	जिसके द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया जावेगा	मुख्यमंत्री को समर्पित किया जावेगा
1.	आवास गृहों का आवंटन तथा अन्य संबंधित मामले			
अ	प्रतीक्षा सूची के अनुसार			
	आवास श्रेणी-1	अनुभागाधिकारी/ सहायक सचिव/ वरि. उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	-
	आवास श्रेणी-2			
	आवास श्रेणी-3			
	आवास श्रेणी-4	अनुभागाधिकारी/ सहायक सचिव/ वरि. उप सचिव	वरिष्ठ उप शासन सचिव	-
	आवास श्रेणी-5			
ब	नियम 27 के अन्तर्गत नियमों में शिथिलन के समस्त प्रकरण	अनुभागाधिकारी/ सहायक सचिव/ वरि. उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
स	राजकीय आवास गृहों में निवास की अवधि में वृद्धि			
i.	स्थानान्तरण / सेवानिवृत्ति / मृत्यु के मामलों में 6 माह तक नियमानुसार दर पर			
	आवास श्रेणी-1	अनुभागाधिकारी/ सहायक सचिव/ वरि. उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	-
	आवास श्रेणी-2			
	आवास श्रेणी-3			
	आवास श्रेणी-4	अनुभागाधिकारी/ सहायक सचिव/ वरि. उप सचिव	वरिष्ठ उप शासन सचिव	-
	आवास श्रेणी-5			
ii.	विशेष परिस्थितियों में उपरोक्त अवधि से अधिक वृद्धि करने के मामले	अनुभागाधिकारी/ सहायक सचिव/ वरि. उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
2	राजकीय कार्यालयों के लिए स्थान उपलब्ध कराने के मामले			
A	अनुपलब्धता प्रमाण पत्र-राजकीय भवन	अनुभागाधिकारी/ सहायक सचिव/ वरि. उप सचिव	वरिष्ठ उप शासन सचिव	-
B	राजकीय भवन आवंटन	अनुभागाधिकारी/ सहायक सचिव/ वरि. उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
3	राजकीय कार्यालयों के लिए निजी भवनों को अधिग्रहण करने संबंधी मामले	अनुभागाधिकारी/ सहायक सचिव/ वरि. उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
4	राजकीय त्योहार मनाये जाने से संबंधित मामले	अनुभागाधिकारी/ सहायक सचिव/ वरि. उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
5	सीमा विवाद (अन्तर्राज्यीय)			
i.	सीमा स्तम्भों का पुनः निर्माण / मरम्मत से संबंधित मामले	अनुभागाधिकारी/ सहायक सचिव/ वरि. उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
ii.	राज्य की भूमि अन्य प्रदेशों को हस्तान्तरित किये जाने के मामले	अनुभागाधिकारी/ सहायक सचिव/ वरि. उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
iii.	सीमा संबंधी नक्शों को सत्यापित कराये जाने संबंधी मामले	अनुभागाधिकारी/ सहायक सचिव/ वरि. उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
6	विविध अनुदान संबंधी मामले			
i.	25.000/- तक	अनुभागाधिकारी/ सहायक सचिव/ वरि. उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	-

2

ii.	25,000/- से अधिक	अनुभागाधिकारी/ सहायक सचिव/ वरि. उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
7	कार्यालयों के समय परिवर्तन किये जाने संबंधी मामले	अनुभागाधिकारी/ सहायक सचिव/ वरि. उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
8	मेलिंग लिस्ट	अनुभागाधिकारी/ सहायक सचिव/ वरि. उप सचिव	वरिष्ठ उप शायन सचिव	-
9	विधानसभा प्रश्न एवं आश्वासन	अनुभागाधिकारी/ सहायक सचिव/ वरि. उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
10.	लोक सभा प्रश्न	अनुभागाधिकारी/ सहायक सचिव/ वरि. उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	
11	साईंफर	अनुभागाधिकारी/ सहायक सचिव/ वरि. उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	-
12	राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज के मामले	अनुभागाधिकारी/ सहायक सचिव/ वरि. उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव	-
13	राजकीय, सामुदायिक केन्द्र, गांधीनगर के समस्त मामले	अनुभागाधिकारी/ सहायक सचिव/ वरि. उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	-
14	सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रकरण	अनुभागाधिकारी(RTI)/ सहायक सचिव	वरि. उप शासन सचिव एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी	-

25

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग

क्र. स.	विषय	जिसके द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया जावेगा	जिसके द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया जावेगा	मुख्यमंत्री को समर्पित किया जावेगा
1	कार्यालय / निवास हेतु टेलीफोन आवंटन की अनुमति देना			
i	पात्रता के अनुसार आवंटन	ग्रुप अधिकारी	वरिष्ठ उप शासन सचिव	-
ii	कार्यालय/निवास टेलीफोन परिवर्तन संबंधी समस्त मामले	ग्रुप अधिकारी	वरिष्ठ उप शासन सचिव	-
iii	पदनाम / विभाग परिवर्तन पश्चात् कार्यालय/निवास पर पुराना टेलीफोन यथावत रखने संबंधी	ग्रुप अधिकारी	वरिष्ठ उप शासन सचिव	-
iv	पात्र को टेलीफोन की नवीन स्वीकृति कार्यालय/निवास	ग्रुप अधिकारी / वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	-
v	टेलीफोन पर अन्य सुविधा संबंधी मामले	ग्रुप अधिकारी / वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	-
vi	टेलीफोन पर एस.टी.डी. स्वीकृति संबंधी मामले	ग्रुप अधिकारी / वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	-
2	नियमों के अन्तर्गत न आने वाली अन्य सुविधाओं से संबंधित मामले	ग्रुप अधिकारी / वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख सचिव / अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
3	टेलीफोन धारक द्वारा किए गये निजी कॉल्स / अधिक कॉल्स की वसूली संबंधी मामले	ग्रुप अधिकारी / वरिष्ठ उप शासन सचिव	वरिष्ठ उप सचिव	-
4	पोस्ट ऑफिस / पब्लिक कॉल्स ऑफिस नये खोलने के मामले	ग्रुप अधिकारी / वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख सचिव / अति. मुख्य सचिव / मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
5	वर्दी पर अधिक व्यय के नियमितिकरण संबंधी मामले	ग्रुप अधिकारी / वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख सचिव / अति. मुख्य सचिव	-
6	सरकारी कार्यालयों में खादी एवं अन्य प्रकार के कपड़ों के उपयोग की नीति	ग्रुप अधिकारी / वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख सचिव / अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
7	डाक एवं तार विभाग, टेलीफोन तथा पोस्ट एवं टेलीग्राफ सलाहकार समिति से संबंधित मामले	ग्रुप अधिकारी / वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख सचिव / अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
8	अधिशेष कर्मचारियों का पुनः राजकीय विभागों में समावेशन के नीति निर्धारण संबंधी मामले	ग्रुप अधिकारी / वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख सचिव / अति. मुख्य सचिव / मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
9	अधिशेष घोषित हुए कर्मिकों हेतु समावेशन के मामलों में निर्देश जारी करना			
A	राजपत्रित अधिकारियों का समावेशन	ग्रुप अधिकारी / वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख सचिव / अति. मुख्य सचिव / मुख्य सचिव	-
B	अराजपत्रित कर्मचारियों का समावेशन	ग्रुप अधिकारी / वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख सचिव / अति. मुख्य सचिव	-
C	वर्कचार्ज कर्मचारियों से संबंधित कार्य	ग्रुप अधिकारी / वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख सचिव / अति. मुख्य सचिव	-
10	अधिशेष हुए कर्मिकों के अधिशेष अवधि के दौरान संस्थापन/लेखा संबंधी समस्त प्रकार के मामले	ग्रुप अधिकारी	वरिष्ठ उप शासन सचिव	-
11	रेल्वे स्टेशन के नामकरण/नाम में परिवर्तन के मामले	ग्रुप अधिकारी / वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव / मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
12	विधानसभा प्रश्न	ग्रुप अधिकारी / वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
13	लोकसभा प्रश्न	ग्रुप अधिकारी / वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	-
14	डाक टिकट जारी करना	ग्रुप अधिकारी / वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख सचिव / अति. मुख्य सचिव / मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
15	अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करना (पदोन्नति / सीधी भर्ती के लिए)	ग्रुप अधिकारी / वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख सचिव / अति. मुख्य सचिव	-
16	अर्न्तविभागीय / अर्न्तजिला स्थानान्तरण हेतु अनुपलब्धता प्रमाण पत्र देना	ग्रुप अधिकारी / वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख सचिव / अति. मुख्य सचिव	-

2

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-4) विभाग

क्र. स.	विषय	जिसके द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया जावेगा	जिसके द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया जावेगा	मुख्यमंत्री को समर्पित किया जावेगा
1	आय-व्यय से संबंधित मामले	व.लेखाधिकारी / संयुक्त सचिव	प्रमुख सचिव / अति. मुख्य सचिव	-
2	महालेखाकार कार्यालय से मिलान कार्य	व.लेखाधिकारी	संयुक्त सचिव	-
3	बजट आवंटन	व.लेखाधिकारी	संयुक्त सचिव / प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	-
4	जन लेखा समिति के मामले	व.लेखाधिकारी / संयुक्त सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	-
5	प्राक्कलन समिति के मामले	व.लेखाधिकारी / संयुक्त सचिव	प्रमुख सचिव / अति. मुख्य सचिव	-
6	ड्राफ्ट पेरा/ओ.बी. आईटम	व.लेखाधिकारी / संयुक्त सचिव	प्रमुख सचिव / अति. मुख्य सचिव	-
7	विश्राम भवनों की बकाया संबंधी मामले (विधायकों एवं मंत्री के अतिरिक्त)	व.लेखाधिकारी	संयुक्त सचिव	-
8	वेतन निर्धारण	व.लेखाधिकारी / संयुक्त सचिव	प्रमुख सचिव / अति. मुख्य सचिव	-
9	राजकीय भवनों/आवासों का निर्माण	व.लेखाधिकारी / संयुक्त सचिव	प्रमुख सचिव / अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
10	राजकीय आवासों में परिवर्तन/परिवर्धन के मामले			
i	1,00,000/- (एक लाख) तक की स्वीकृति	व.लेखाधिकारी / संयुक्त सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	-
ii	1,00,000/- (एक लाख) से 3,00,000/- (तीन लाख) तक की स्वीकृति एवं मंत्रिगणों के बंगलों के मामले	व.लेखाधिकारी / संयुक्त सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव / मुख्य सचिव	-
iii	3,00,000/- (तीन लाख) से अधिक की स्वीकृति एवं मंत्रिगणों के बंगलों के मामले	व.लेखाधिकारी / संयुक्त सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव / मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
11	राजकीय अतिथि एवं भारत सरकार के अतिथिगण के आतिथ्य सत्कार के भुगतान के बिल	लेखाकार / सहायक लेखाधिकारी	व.लेखाधिकारी / संयुक्त सचिव	-
12	जांच प्रतिवेदन की अनुपालना	व.लेखाधिकारी / संयुक्त सचिव	संयुक्त सचिव	-
13	विधानसभा प्रश्न	व.लेखाधिकारी / संयुक्त सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
14	लोकसभा प्रश्न	व.लेखाधिकारी / संयुक्त सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	-
15	अन्य विविध प्रकरण	व.लेखाधिकारी / संयुक्त सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	-

2

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्र. स.	विषय	जिसके द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया जावेगा	जिसके द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया जावेगा	मुख्यमंत्री को समर्पित किया जावेगा
1	बजाज नगर अपार्टमेंट/ट्रांजिट हॉस्टल में नियमानुसार आवास का आवंटन एवं अवधि वृद्धि			
i	वरीयतानुसार आवंटन	सहायक शासन सचिव / संयुक्त सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	-
ii	आवंटन संबंधी दिशा-निर्देश में शिथिलिकरण	सहायक शासन सचिव / संयुक्त सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव / मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
iii	अवधि वृद्धि के सभी मामले	सहायक शासन सचिव / संयुक्त सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव / मुख्य सचिव	-
2	राजस्थान स्थित विश्राम भवन/राजस्थान हाउस, नई दिल्ली/राजस्थान भवन, मुम्बई में प्रवास/भोजनादि की सुविधा के संबंध में पात्रता / विश्राम भवन नियमावली के प्रावधानों में शिथिलन	सहायक शासन सचिव / संयुक्त सचिव	प्रमुख सचिव / अति. मुख्य सचिव / मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
3	राजस्थान स्थित विश्राम भवनों / ट्रांजिट हॉस्टल, जयपुर/राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस/राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, नई दिल्ली तथा राजस्थान भवन, मुम्बई के संस्थापन एवं अनुशासनिक मामले			
i	वरिष्ठ हाउसकीपर तक	सहायक शासन सचिव / संयुक्त सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	-
ii	महाप्रबंधक, उपमहाप्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक, प्रबंधक ग्रेड-प्रथम एवं द्वितीय	सहायक शासन सचिव / संयुक्त सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव / मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
4	राजस्थान स्थित विश्राम भवन/राजस्थान हाउस, नई दिल्ली/राजस्थान भवन, मुम्बई में पात्रतानुसार निर्धारित अवधि तक प्रवास/भोजनादि की सुविधा।	सहायक शासन सचिव	संयुक्त सचिव	-
5	विश्राम भवनों में स्थानान्तरण पर आवास अनुमति			
i	तीन माह तक वृद्धि	सहायक शासन सचिव	संयुक्त सचिव	-
ii	तीन माह से अधिक वृद्धि	सहायक शासन सचिव / संयुक्त सचिव	प्रमुख सचिव / अति. मुख्य सचिव	-
6	राजस्थान स्थित विश्राम भवनों/राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस/राजस्थान स्टेट गेस्ट हाउस, नई दिल्ली तथा राजस्थान भवन, मुम्बई में आवास पात्रता एवं चार्ज आदि के रिवीजन प्रकरण	सहायक शासन सचिव / संयुक्त सचिव	प्रमुख सचिव / अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
7	राज. स्टेट गेस्ट हाउस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में बोर्ड/निगमों के कमरों को अन्य अतिथियों के लिए आरक्षण एवं अन्य सभी मामले	सहायक शासन सचिव / संयुक्त सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	-
8	विधानसभा प्रश्न (जिनका जवाब विभाग को देना है)	सहायक शासन सचिव / संयुक्त सचिव	प्रमुख सचिव / अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
9	लोकसभा प्रश्न (जिनका जवाब विभाग को देना है)	सहायक शासन सचिव / संयुक्त सचिव	प्रमुख सचिव / अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
10	सूचना के अधिकार अधिनियम संबंधी प्रकरण	सहायक शासन सचिव	राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं संयुक्त सचिव	-
11	सा.प्र.वि./मंम./सम्पदा/ना.उ./मो.गै. संबंधी कार्डिनेशन संबंधी एवं विभिन्न सूचनाएं प्राप्त कर भिजवाने संबंधित मामले	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव	संयुक्त सचिव	-

2

सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग

क्र. स.	विषय	जिसके द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया जावेगा	जिसके द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया जावेगा	मुख्यमंत्री को समर्पित किया जावेगा
1	प्रमुख निवासीय आयुक्त, नई दिल्ली/ अतिरिक्त निवासीय आयुक्त, मुम्बई से संबंधित मामले	अनुभागाधिकारी/ सहायक शासन सचिव/ उप शासन सचिव/ वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	-
2	सार्वजनिक/ऐच्छिक अवकाश घोषित करना	अनुभागाधिकारी/ सहायक शासन सचिव/ उप शासन सचिव/ वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
3	स्वतंत्रता सेनानी प्रकरण	अनुभागाधिकारी/ सहायक शासन सचिव/ उप शासन सचिव/ वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
4	विधानसभा प्रश्न	अनुभागाधिकारी/ सहायक शासन सचिव/ उप शासन सचिव/ वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
5	लोकसभा प्रश्न	अनुभागाधिकारी/ सहायक शासन सचिव/ उप शासन सचिव/ वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	-
6	अन्य विविध प्रकरण	अनुभागाधिकारी/ सहायक शासन सचिव/ उप शासन सचिव/ वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	-

राजस्थान स्टेट मोटर गैराज विभाग

क्र. स.	विषय	जिसके द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया जावेगा	जिसके द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया जावेगा	मुख्यमंत्री को समर्पित किया जावेगा
1	वाहनों का क्रय	अनुभागाधिकारी/ सहायक शासन सचिव/ उप शासन सचिव/ वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
2	नीलामी संबंधी मामले	अनुभागाधिकारी/ सहायक शासन सचिव/ उप शासन सचिव/ वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
3	केन्द्रीय पूल/गैराज एवं जिला पूल से संबंधित अन्य विविध मामले	अनुभागाधिकारी/ सहायक शासन सचिव/ उप शासन सचिव/ वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव/ मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री

५

4	नये वाहनों का आवंटन	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव / उप शासन सचिव / वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव / मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
5	वाहनों का अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करना	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव / उप शासन सचिव / वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	-
6	वाहनों को भुगतान के आधार पर आवंटन	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव / उप शासन सचिव / वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	-
7	परिपत्र दिनांक 20.1.2004 के अन्तर्गत वाहनों का आवंटन	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव / उप शासन सचिव / वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	-
8.	विभागीय वाहनों से कार्यक्षेत्र, राज्य एवं राज्य से बाहर यात्रा करने संबंधी अनुमति के मामले	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव / उप शासन सचिव / वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव / मुख्य सचिव	--
9	वाहनों के उपयोग पर प्रतिबन्ध	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव / उप शासन सचिव / वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव / मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
10	संस्थापन संबंधी प्रकरण	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव / उप शासन सचिव / वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	-
11	विधानसभा प्रश्न	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव / उप शासन सचिव / वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
12	लोकसभा प्रश्न	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव / उप शासन सचिव / वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	-
13	अन्य विविध प्रकरण	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव / उप शासन सचिव / वरिष्ठ उप शासन सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	-

2.

सम्पदा विभाग

क्र. स.	विषय	जिसके द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया जावेगा	जिसके द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया जावेगा	मुख्यमंत्री को समर्पित किया जावेगा
1.	भूतपूर्व शासकों से संबंधित समस्त प्रकरण	अनुभागाधिकारी / शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव / मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
2.	पूर्व शासकों के आश्रितों के पेंशन प्रकरण	अनुभागाधिकारी / शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	—
3.	पूर्व शासकों के जमीन संबंधी नीतिगत मामले	अनुभागाधिकारी / शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव / मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
4.	समस्त नजूल सम्पत्तियों का निस्तारण (किरायेदार व अतिक्रमण के मामले)	अनुभागाधिकारी / शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव / मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
5.	जयपुर स्थित रिक्त नजूल सम्पत्तियों का निस्तारण	अनुभागाधिकारी / शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव / मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
6.	विधानसभा	अनुभागाधिकारी / शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
7.	लोकसभा	अनुभागाधिकारी / शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	—


नागरिक उड्डयन विभाग

क्र. स.	विषय	जिसके द्वारा प्रकरण का परीक्षण किया जावेगा	जिसके द्वारा प्रकरण का निस्तारण किया जावेगा	मुख्यमंत्री को समर्पित किया जावेगा
1	राज्यपाल महोदया को राजकीय वायुयान/हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराने बाबत	वरि. शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव / मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
2	हवाई पट्टियों से संबंधी समस्त मामले	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव / वरि. शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव / मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
3	हवाई पट्टियों से संबंधी भूमि अवाप्ति के मामले	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव / वरि. शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव / मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
4	लेखा एवं बजट ड्राफ्ट पैरा पीएसी संबंधी प्रकरण	वरि. शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री आवश्यकता अनुसार
5	संस्थापन संबंधी कार्य	अनुभागाधिकारी / सहायक शासन सचिव / वरि. शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव / अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री आवश्यकता अनुसार

2

6	विधानसभा प्रश्न	अनुभागाधिकारी/ सहायक शासन सचिव/ वरि. शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री
7	लोकसभा प्रश्न	अनुभागाधिकारी/ सहायक शासन सचिव/ वरि. शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	-
8	अन्य विविध प्रकरण	अनुभागाधिकारी/ सहायक शासन सचिव/ वरि. शासन उप सचिव	प्रमुख शासन सचिव/ अति. मुख्य सचिव	मुख्यमंत्री आवश्यकता अनुसार

1. सभी मामले जो वरिष्ठ शासन उप सचिव/संयुक्त शासन सचिव/प्रमुख शासन सचिव/अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा महत्वपूर्ण समझे जावे तो मुख्य सचिव/मुख्यमंत्री के ध्यान में लाया जावें।
2. साधारणतया जो मामले स्थाई आदेश के अनुसार मुख्यमंत्री द्वारा निपटाये जाते हैं, उन्हें मुख्यमंत्री के मुख्यालय से अनुपस्थित होने पर एवं उनके लौटने तथा प्रतीक्षा नहीं की जा सकने की स्थिति से मुख्य सचिव द्वारा तय किये जा सकते हैं।
3. कानूनी मुद्दे साधारणतया समय-समय पर संशोधित राजस्थान कार्य विधि नियमावली के नियम 21 व 22 के परिशिष्ट (ख) में उल्लेखित तरीके के अनुसार तय होंगे।
4. जो मुद्दे उपरोक्त आईटमों में नहीं आ सकते हैं, उनका प्रमुख शासन सचिव/अति.मुख्य सचिव द्वारा परीक्षण किया जाकर मुख्य सचिव को प्रस्तुत किया जावेगा।
5. विश्राम भवनों की बकाया के मंत्रियों संबंधी मामले मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा एवं विधायकों संबंधी मामले संसदीय कार्य विभाग द्वारा संपादित किये जाएंगे।



(वसुन्धरा राजे)
मुख्यमंत्री, राजस्थान